## Haria IIIII andia

SHIBITUI EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 58] No. 58] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2008/माघ 17, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2008/MAGHA 17, 1929

जनजातीय कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 73(अ).—अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 से संबंधित भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में स. सा.का.नि. 1(अ), तारीख । जनवरी, 2003 द्वारा उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी:—

- (i) पृष्ठ 1, नियम 1 के उप-नियम (1) में "नियम, 2007" के स्थान पर "नियम, 2008" पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 7 में, "प्ररूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा भारूप [नियम 11(1)(क) देखें]", के स्थान पर, "भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय प्ररूप-क वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा भारूप [अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत बन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1)(क) देखें]", पढ़ें:

(iii) पृष्ठ 8 में, "प्ररूप-ख

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप [नियम 11(1)(क) और (4) देखें]", के स्थान पर, "भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय प्ररूप-ख सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप [अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम !!(!)(क) और !!(4) देखें]", पढ़ें;

(iv) पृष्ठ 9 में, "उपाबंध 2

[नियम 8(ज) देखें]", के स्थान पर,

"उपाबंध 2 भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम. 2008 का नियम 8(ज) देखें]". पढें;

(v) पृष्ट 10 में, "उपाबंध 3

[नियम 8(ज) देखें]", के स्थान पर,

"उपाबंध 3 भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम. 2008 का नियम 8(ज) देखें]", पढें: (vi) पृष्ठ 10 को अंत में,

"[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)] डॉ. बिचत्तर सिंह, संयुक्त सचिव" अंत:स्थापिट करें।

[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]

डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th February, 2008

G.S.R. 73(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs, relating to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, published vide number G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) of the same date:-

- (i) at page 10, in sub-rule (1) of rule 1, for "Rules, 2007". read "Rules, 2008";
- (ii) at page 15,

"FORM-A for

CLAIM FORM FOR RIGHTS TO

**FORESTLAND** [See rule 11(1)(a)]",

"Government of India read

Ministry of Tribal Affairs

FORM-A

CLAIM FORM FOR RIGHTS TO

FOREST LAND

[See rule 11(1) (a) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest

Dwellers (Recognition of Forest Rights)

Rules, 2008]":

(iii) at page 16,

"FORM - B for

CLAIM FORM FOR COMMUNITY

RIGHTS

[See Rule 11(1)(a) and (4)]".

"Government of India read

Ministry of Tribal Affairs

FORM-B

CLAIM FORM FOR COMMUNITY

RIGHTS

[See rule 11(1) (a) and 11(4) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest

Rights) Rules, 2008[1];

(iv) at page 17

for "ANNEXURE-II

[See Rule 8(h)]".

"ANNEXURE-II read

Government of India

Ministry of Tribal Affairs

[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules.

2008]";

(v) at page 18,

"ANNEXURE-III for

[See Rule 8(h)]",

"ANNEXURE-III read

Government of India

Ministry of Tribal Affairs

[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition

of Forest Rights) Rules, 2008]";

(vi) at page 18, at the end,

<u>insert</u>

"[F. No. 17014/02/2007-PC&V (Vol. VII)].

Dr. Bachictar Singh, Joint Secretary".

[F.No. 17014/2/2007-PC&V (Vol.VII)]